भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2361

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014/3 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कार्टलाइजेशन</u>

2361. श्री रवनीत सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भेषज, सीमेंट, टेलीकॉम, पेट्रोलियम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्टलाइजेशन संबंधित मुद्दे की कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्षेत्र-वार क्या परिणाम निकले?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : औषध क्षेत्र में आयोग ने चार मामलों में 55,01,710/- रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में (i) बंगाल कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और (ii) कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, फिरोजपुर (पंजाब) के कुछ पदाधिकारियों पर भी उनके कारोबार के 7% से 10% तक का जुर्माना लगाया गया है। सीमेंट क्षेत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों व सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन पर 6714.83 करोड़ रुपए का समेकित जुर्माना लगाया है। पेट्रोलियम क्षेत्र में, आयोग ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल कीमत निर्धारित करने का मामला जांच के लिए महानिदेशक, सीसीआई को सौंप दिया है। हालांकि, इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। टेलीकॉम क्षेत्र में कार्टलाइजेशन संबंधी मुद्दे की जांच नहीं की जा रही है।

*****